न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2986–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–08–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 41/अ–70/2013–14

.....

बिहारीलाल पुत्र नन्दुआ
निवासी–ग्राम कढेगरा, कृषक ग्राम जुझाई
तहसील नरवर, जिला–शिवपुरी, म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

लक्ष्मण दास पुत्र रामदास बैरागी,
निवासी– ग्राम कढेगरा, कृषक ग्राम जुझाई
तहसील नरवर, जिला–शिवपुरी, म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/9/2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नरवर, जिला–शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है अनावेदक लक्ष्मणदास वैरागी ने तहसीलदार नरवर के समक्ष आवेदन संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत

कर बताया कि अनावेदक बिहारीलाल द्वारा उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है अतः भूमि पर से अवैद्य कब्जा हटाया जाये। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 41/2013–14/अ–70 दर्ज कर सूचना पत्र जारी किया। दिनांक 29–8–14 को प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया तथ पेशी निांक 16–9–14 नियत की। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 29–8–14 को जबाव पेश किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमि पर अनावेदक का ही कब्जा है, लक्ष्मणदास बैरागी ने विवादित भूमि का बाला–बाला बंटाकन कराकर सर्वे कमांके 2302/1 रकवा 1.20 हैक्टर राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया है जब कि अक्श नक्शा में बटांकन की स्थिति गलत दर्शाई गई है। लक्ष्मणदास वैरागी द्वारा विवादित भूमि का सीमांकन भी बिहारीलाल की जानकारी के बगैर गलत कराया है मौके पर कभी लक्ष्मणदास वैरागी का कभी कब्जा नहीं रहा है। अतः मौके की वैधानिक जांच कराई जाकर विकयपत्र दिनांक 26–6–90 तथा दिनांक 10–7–90 की उचित जांच कराकर बिहारीलाल के खिलाफ 250 की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया। परन्तु तहसीलदार ने आवेदक के जबाव पर बिना विचार किये प्रकरण साक्ष्य हेतु निर्धारित करने में त्रुटि की है। अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक ने स्वयं की भूमि का दिनांक 23–6–14 को विधिवत सीमांकन कराने के पश्चात आवेदक का अवैद्य कब्जा होने से संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने विधिवत आवेदक को सूचना पत्र जारी किया। तहसीलदार ने प्रकरण साक्ष्य हेतु निर्धारित किया है। तहसीलदार के यहां प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण होना है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में लक्ष्मणदास द्वारा धारा 250 के तहत बिहारीलाल के विरूद्ध एक आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाहीं की गई। अनावेदक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। दिनांक 14–8–14 को प्रकरण प्रस्तुत हुआ। उभय पक्ष उपस्थित हुये। अनावेदक ने अपने जबाव में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रकरण चल रहा है इसके संबंध में प्रकरण से संबंधित आदेश पत्रिका एवं स्थगन आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिनांक 29–8–14 को अनावेदक अभिभाषक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया। जबाव के पश्चात उभय पक्ष के साक्ष्य का अवसर दिये बिना तहसीलदार ने अध्ययन तथा आदेश हेतु निर्धारित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 250 के प्रकरण में आदेश करने के पूर्व आवश्यक साक्ष्य प्राप्त किये बिना प्रकरण आदेश हेतु निर्धारित कर दिया। प्रतिप्रार्थी अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार ने आदेश के लिए प्रकरण निर्धारित किया है आदेश हुआ नहीं है। तहसीलदार ने प्रकरण आदेश के लिए निर्धारित कर दिया तथा ऐसा कोई उल्लेख आदेश पत्रिका में नहीं किया कि प्रकरण में आदेश के पूर्व साक्ष्य भी लिए जायेंगे। इसका तात्पर्य यही है कि तहसीलदार आदेश के पूर्व किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं लेना चाहते जबकि धारा 250 में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उभय पक्ष यदि साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार नरवर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें।

(डॉ मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर